

28.01.19

पत्रावली पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मसूरी ने रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम मसूरी के आराजीराज खसरा नम्बर 557 किस्म बंजड़ की 0.30 हैक्टर भूमि पर गैर सायल तोलाराम पुत्र बीरमाराम जाति जाट निवासी मसूरी द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज कर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना के गैरसायल अनुपस्थित रहा। अतः गैरसायल के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं भू.अ. निरीक्षक की जांच से यह प्रमाणित होता है कि गैरसायल ने ग्राम मसूरी की आराजीराज भूमि खसरा नम्बर 557 रकबा 0.30 हैक्टर पर अतिक्रमण किया है। अतः गैरसायल को उक्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अतिचारी तोलाराम पुत्र बीरमाराम जाति जाट जाट को खसरा नम्बर 557 के अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर दिया जावे। सम्वत् 2075 वर्ष 2018-19 में किये गये अतिक्रमण के लिए अतिचारी पर शरहदी लगान का 50 गुणा रूपये 15/- अक्षरे रूपये पन्द्रह जुर्माना आरोपित किया जाता है।

भू.अभि. निरीक्षक व पटवारी हल्का को जुर्माना वसूल करने एवं अतिचारी को अतिक्रमित रकबे से भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली वास्ते मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भेजी जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार (राजस्व)
नोखा

10-19
15=00
82

15

15